न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 23/17 (225)
आरसीएमएस संख्या – 2017/00122

उनवान

1. हरवीर सिंह पुत्र सीयाराम
2. बलवीर सिंह पुत्र सीयाराम
3. दीवान सिंह पुत्र सीयाराम

} जाति जाट निवासी नगला धरसौनी(अजीत नगर) तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....................अपीलाण्ट

बनाम

1. जीयेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
2. वीरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
3. रमन सिंह पुत्र रामप्रसाद
4. सुफेदी पत्नि रामप्रसाद

} जाति जाट निवासी नगला धरसौनी (अजीत नगर) तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....................रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 23.05.2017 प्रकरण संख्या 83/16 उनवान हरवीर सिंह बनाम जीयेन्द्र आदि

उपस्थित :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री राजेश सोगरवाल एवं शशि बंसल अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–26.02.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी में प्रार्थी अपीलाण्ट संख्या 01, 1/7, एव 02 व 03 6/7 हिस्सा सम्भाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। यह आराजी उन्हें उनके पिता स्व0 सीयाराम से उनके मरणोपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त की है। प्रार्थी संख्या 1 से 3 की बहिने व माँ उनके हक में हकत्याग विलेख निष्पादित कर गयी हैं। खाता संख्या 263 जमाबन्दी संवत 2065 में वर्णित आराजी हिस्सा को प्रार्थीगण संख्या 02 व 03 ने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है। शेष वर्णित आराजी हिस्सा के प्रार्थीगण समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उनके पिता रामप्रसाद के पिता का नाम बृषफल रहा था। बृषफल के मरणोपरान्त उनकी पत्नि स्व0 मोहनकौर ने अपने देवर किशन के साथ धरेजा कर लिया था जहाँ उनसे तीन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वर्ष बाद प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री सीयाराम का जन्म हुआ था धरेजा के समय रामप्रसाद की उम्र 5 वर्ष रही थी और बृषफल के मरने के एक वर्ष बाद धरेजा किया गया था। चूंकि अप्रार्थीगण के पिता रामप्रसाद भी किशन के साथ ही रहने लग गये थे इसलिये उनकी बल्दियत गलती से बृषफल के स्थान पर किशन ही दर्ज होती चली आ रही है जबकि रामप्रसाद स्वयं किशन के पुत्र नहीं थे। राजस्व अभिलेख में जो खेवट या खातेदारी में आराजी स्व0 रामप्रसाद के नाम अंकित की है वह राजस्व कर्मचारियों ने गलती व मिल्लत से की है उन्हें किशन की विरासत का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहा है। चूंकि अप्रार्थीगण स्व0 किशन के आधार पर विवादित आराजी में आधा हिस्सा क्लेम कर रहे हैं और प्रार्थीगण की सम्पूर्ण खातेदारी होने से इंकार कर रहे हैं एवं धमकी दे रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी संपूर्ण अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। इसके किसी भाग से रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की पैतृक आराजी है जिसके पूर्व में अपीलाण्ट के पूर्वज श्री किशन मालिक एवं खुद काश्त होल्डर रहे थे। जिनके मरणोपरान्त उनसे यह आराजी अपीलाण्ट के पिता स्व0 सीयारांम ने तन्हा उत्तराधिकार में प्राप्त की है। वंशावली भी पेश की है। जिसके अनुसार रैस्पो0 के पिता स्व0 रामप्रसाद के पिता स्व0 वृषफल रहे हैं चूंकि विवादित आराजी से उक्त वृषफल का कोई संबंध नहीं रहा है। इसलिये जो इन्द्राज खातेदारी व काश्तकार उसके पुत्र रामप्रसाद के नाम दर्ज किये हैं वह आरंभ से ही शून्य हैं उनकी बल्दीयत किशन भी गलत अंकित रही है। इन महत्वपूर्ण तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। वृषफल का नाम संवत 2008 की जमाबन्दी में कही भी अंकित नहीं है। बृषफल के मरणोपरान्त उनकी पत्नि स्व0 मोहनकौर ने अपने देवर किशन के साथ धरेजा कर लिया था जहाँ उनसे तीन वर्ष बाद प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री सीयाराम का जन्म हुआ था धरेजा के समय रामप्रसाद की उम्र 5 वर्ष रही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हाल दस्तावेजो का अवलोकन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साविक रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया। रामप्रसाद सियाराम का पुत्र नहीं है। पारिवारिक विवाद है। ऐसी स्थिति में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित ही है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। वृषफल का पुत्र रामप्रसाद है। ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है। सिया व रामप्रसाद किशन के ही पुत्र हैं। माँ को अपीलाण्ट एक ही स्वीकार करते हैं। विरासत का इंतकाल वर्ष 1996 में खुला। सजरा बना है जो राजस्व व सरपंच के द्वारा

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)